# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

## पीठासीन अधिकारीः– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 106/2023 ता0 रजू 06.07.2023

**उनवान**

1. श्योजी पि0 कल्याण जाति मीणा निवासी घारेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
2. कैलाश पि0 कल्याण जाति मीणा निवासी घारेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
3. रामेश्वर पि0 कल्याण जाति मीणा निवासी घारेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।

–वादीगण–

**बनाम**

1. किशनलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी घारेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
2. तहसीलदार तहसील टोडारायसिंह।

–प्रतिवादीगण–

दावा इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री रविकुमार जैन अधि0 प्रार्थी
2. श्री मौ0 इस्लाम अधि0 प्रति0 नं0 1
4. पेरोकार सरकार

**आदेश** **दिनांकः–31.05.2024**

वादीगण के पिता स्व0 कल्याण पुत्र भूरा जाति मीणा ग्राम घारेडा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी खसरा नं0 500/595 रकबा 11:09 बीघा वाके ग्राम घारेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह में स्थित हैं। जिसमें 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 की खतौनी संख्या 31 ग्राम घारेडा में कल्याण पुत्र भूरा के नाम दर्ज खातेदारी हैं। जो सम्वत् 2029 से 2032 तक की जमाबन्दी में कल्याण पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा हैं। सम्वत् 2029 से 2032 तक की जमाबन्दी में खातेदार बदरी पुत्र गोपाल तथा गिरधारी पुत्र नारायण की मृत्यु का नामान्तरकरण सख्या 329 व 286 से विरासत का इन्द्राज किया गया था तत्पश्चात सम्वत् 2033 से 2036 तक की जमाबन्दी तैयार करते समय खाता संख्या 82 में बदरी व गिरधारी के वारिसान का नाम उनकी जगह इन्द्राज कर दिया गया परन्तु वादी के पूर्वज कल्याण पुत्र भूरा का हिस्सा 1/4 विलोपित कर दिया गया व सम्पूर्ण हिस्सेदार के नाम 3/4 हिस्सा ही कुल खाता कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा कल्याण पुत्र भूरा का नाम बिना किसी औचित्य के विलोपित कर दिया। जबकि कल्याण पुत्र भूरा के नाम भी 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था।

सेटलमेन्ट के पश्चात् खसरा नं0 500/595 रकबा 11:09 बीघा के हाल, खसरा नं0 1445 रकबा 0.89 है0, 1442/1869 रकबा 0.11 है0, 1443/1862 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम रामनारायण के पुत्र किशनलाल पुत्र रामनारायण ने 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्से के रूप में सेटलमेन्ट कर्मचारियों से साज कर अपने नाम लगा लिया। जबकि उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा कल्याण पुत्र भूरा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी स्व0 कल्याण पुत्र भूरा की मृत्यु हुए 35 वर्ष हो चुके हैं। आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से पर वादीगण, कल्याण के वारिस उत्तराधिकारी पुत्र होने से आज भी काबिज काश्त हैं।

दिनांक 04.07.2023 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करनें व कल्याण का हिस्सा वायस नाम दर्ज करनें के लिए कहां तो उन्होने मना कर दिया व आराजी को खुर्द बुर्द करनें की धमकी दी। इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादीगण वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज खातेदारी में 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराकर नाम लगवाने के कानूनन अधिक[illegible] प्रतिवादी नं0 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये जानें के अधिकारी हैं।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया आराजी खसरा नं0 1445 रकबा 0.89 है0, 1442/1869 रकबा 0.11 है0, 1443/1862 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम घारेड़ा में 1/[illegible] के खातेदार काश्तकार घोषित फरमायें जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल [illegible]या जावें। प्रतिवादी नं0 1 [illegible]यें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वह उक्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बैजामजाहमत नहीं करे। वादीगण को बेदखल नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:38:28 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner